न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./132/2025/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. हडुमानराम पुत्र चुतराराम 2. अर्जुनराम पुत्र चुतराराम 3. कंवराराम पुत्र रेखाराम 4. हिमथाराम पुत्र रेखाराम 5. केसाराम पुत्र रेखाराम 6. डालूराम पुत्र रेखाराम 7. अमरूदेवी पत्नी रेखाराम 8. बांकाराम पुत्र धनाराम 9. मेहराराम पुत्र मानाराम 10. नेनूदेवी पत्नी मानाराम 11. प्रकाश पुत्र इसराराम 12. लाधाराम पुत्र इसराराम 13. दीपाराम पुत्र इसराराम 14. तुलछीदेवी पत्नी इसराराम 15. मालाराम पुत्र पेमाराम 16. जेतीदेवी पत्नी पुरखाराम, जाति जाट, निवासी पोटलियासर सरणू भीमजी, तहसील व जिला बाड़मेर।	1. उदाराम पुत्र कोशलाराम 2. चुनाराम पुत्र रेखाराम 3. लक्षमणराम पुत्र रेखाराम 4. दुर्गाराम पुत्र पेमाराम, जाति जाट, निवासी पोटलियासर सरणू भीमजी, तहसील व जिला बाड़मेर। 5. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 142/2024 बउनवान उदाराम बनाम हडुमानराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक:–23.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पोटलियासर, पटवार हल्का सरणू, तहसील व

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 123 रकबा 0.1619 हेक्टेयर, खसरा संख्या 124 रकबा 0.0647 हेक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 381/126 रकबा 31.2012 हेक्टेयर, खसरा संख्या 383/126 रकबा 0.9065 हेक्टेयर, खसरा संख्या 384/126 रकबा 0.0971 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा एवं ग्राम सरणू भीमजी, पटवार हल्का सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 519/367 रकबा 6.7421 हेक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा की खातेदारी की भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की ज़ाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पोटलियासर, पटवार हल्का सरणू, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 123 रकबा 0.1619 हेक्टेयर, खसरा संख्या 124 रकबा 0.0647 हेक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 381/126 रकबा 31.2012 हेक्टेयर, खसरा संख्या 383/126 रकबा 0.9065 हेक्टेयर, खसरा संख्या 384/126 रकबा 0.0971 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा एवं ग्राम सरणू भीमजी, पटवार हल्का सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 519/367 रकबा 6.7421 हेक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा की खातेदारी की भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर वाद तामील अपीलांट द्वारा वकील नियुक्त किया गया था। जिसके द्वारा समुचित रूप से पैरवी नहीं की गई। ना ही अपीलांट के वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में कोई जवाब दावा पेश किया गया था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब व साक्ष्य के अवसर बंद कर दिया गया। साक्ष्य व जवाब बंद करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। किसी अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकारान को नहीं दी जा सकती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को वकील की सजा प्रदान की गई है। वकील की गलती की वजह से अपीलांट को अपने हक के न्याय के लिए महरूम होना पड़ा है। अपीलांट के विरूद्ध विधि के विपरीत जाकर एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। वादी (रेस्पोडेन्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुऐ तथा बिना साक्ष्य पेश किये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलांट की गलत तरीके से तामील मानते हुए अपीलांधीन निर्णय एकतरफा पारित करवाया। उक्त अपीलांधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरूद्ध अपीलांधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन–फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम पोटलियासर, पटवार हल्का सरणू

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 123 रकबा 0.1619 हेक्टेयर, खसरा संख्या 124 रकबा 0.0647 हेक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, खसरा संख्या 381/126 रकबा 31.2012 हेक्टेयर, खसरा संख्या 383/126 रकबा 0.9065 हेक्टेयर, खसरा संख्या 384/126 रकबा 0.0971 हेक्टेयर भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा एवं ग्राम सरणू भीमजी, पटवार हल्का सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 519/367 रकबा 6.7421 हेक्टेयर में वादी का 1/3 हिस्सा की खातेदारी की भूमि आई हुई है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो पूर्णतयाः विधि सम्मत एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा हैं। रेस्पोडेन्ट्स (वादी) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलियें सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिस अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार प्राप्त हुआ है। साथ ही हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। और ना ही हिस्से को लेकर अपीलांट द्वारा कोई प्रश्न हाजा न्यायालय में किया गया है। जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट्स को सम्मन प्रेषित किये गये थे जिसकी बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी जरिये वकालतनामा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की हस्तगत पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया और ना ही वकील उपस्थित आया। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस् की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

(प्रशांत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट्स/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकालतनामा के उपस्थित हुआ है। उसके बाद वकील को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद अवसर बंद किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा उपस्थित नहीं आने के संबंध में उक्त कथनों का कोई सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री से संतुष्ट हैं। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। पक्षकारान के मध्य हिस्सों को लेकर कोई विवाद जाहिर नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया प्रतीत होता है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील अपीलांट की सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 142/2024 बउनवान उदाराम बनाम हडुमानराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

23/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर